GOVERNMENT OF RAJASTHAN
HOME DEPARTMENT

No.F.33(2)Home/Gr.9/2019 Dated: 02:05:2020

ORDER

Sub: **Implementation Orders for Modified Lock Down in the period May 4th to May 17th, 2020**.

The lockdown imposed in the entire country has been further extended up to May 17th, 2020 vide Order No. 40-3/2020-DM-I(A) dated May 1st, 2020 issued by Ministry of Home Affairs, Government of India. Accordingly, the following Implementation Guidelines are issued in respect of the Lockdown in the State of Rajasthan for the period **May 4th to May 17th, 2020,** in accordance with the Guidelines issued by Ministry of Home Affairs, Government of India vide Order No. 40-3/2020-DM-I(A) dated May 1st, 2020:-

A. RESTRICTIONS:

The **following restrictions shall continue to apply in the entire State until 17th May, 2020**, irrespective of the Zonal classification, i.e. Red, Orange or Green :

(1) Under Section 144 CrPC :

(a) Restriction on the movement and gathering of 5 or more persons at a public place, unless specifically, and up to the extent, provided for in these guidelines, eg. as in B. 6 & 7.

(b) The movement of individuals, for all non-essential activities, shall remain strictly prohibited between 7 pm to 7 am.
In case of emergency or essential requirement pass be obtained from district administration or nearest police station. This will not be applicable on Government officials or doctors / medical or para medical staff on duty, for whom official ID will be sufficient.

(c) All work places (Shops / offices / factories etc.) shall close latest by 6 pm or such earlier time to enable the staff and others to reach back home by 7 pm, unless special permission is obtained from the district administration in this regard.

(2) Prohibited Activities: The following activities will continue to remain prohibited across the State:

i. All domestic and international air travel of passengers, except for medical services, air ambulance, security or for purposes as permitted by MHA, GOI.

ii. All passenger movement by trains, except as permitted by MHA, GOI.

iii. Inter State buses for public transport except for purposes as permitted by MHA, GOI.

iv. Metro rail services.

v. Inter-State movement of individuals except for medical reasons or for activities as permitted by MHA.

vi. All schools, colleges, educational / training / coaching institutions etc. However, online teaching / distance learning / classes shall be permitted.

vii. Hospitality services other than those used for housing health, police Government officials, healthcare workers, stranded persons including tourists, and those used for quarantine facilities.

viii. All cinema halls, shopping malls, gymnasiums, sports complexes, swimming pools, entertainment parks, theatres, bars, auditoriums, assembly halls and similar places.

ix. All social/ political / sports / entertainment / academic / cultural/ religious functions / other gatherings.

x. All religious places / places of worship shall be closed for public. Religious congregations are strictly prohibited.

xi. In Containment Zones / curfew areas private Out Patient Departments (OPDs) and medical clinics shall be open only with specific permission, to be accorded on basis of observing social distancing norms and other safety precautions. This shall also be binding on such Government medical establishments.

B. COMMON PRESCRIPTIONS:

The following **standard precautions and restrictions** shall remain **applicable** for all areas and all districts:

PUBLIC SPACES

1. Persons above 65 years of age, persons with co-morbidities, pregnant women and children below the age of 10 years shall stay at home, except for meeting essential requirements and for health purposes. In case of such situation, local administration and police shall deal empathetically with such persons.

2. Wearing of face cover is compulsory in all public places.
3. No shopkeeper shall sell any item to a person not wearing a face mask.
4. All persons in charge of public places, work places and transport shall ensure social distancing (minimum 6 feet).
5. No organization /manager of public place shall allow gathering of 5 or more persons
6. Marriages related gatherings shall ensure social distancing, and the maximum number of guests allowed shall not be more than 50.
7. Funerals / last rites related gatherings shall ensure social distancing, and the maximum number of persons allowed shall not be more than 20.
8. Spitting in public spaces shall be punishable with fine.
9. Sale of *paan, gutka*, tobacco etc. shall be prohibited.
10. Shops selling liquor, will ensure social distancing and that not more than 5 persons are present at one time at the shop.
11. Consumption of liquor in public place is strictly prohibited.

WORK SPACES

12. Wearing of face cover is compulsory in work places and adequate stock of such face covers shall be made available.
13. All persons in charge of work places shall ensure social distancing, both within the work place and in company transport.
14. Social distancing at work places shall be ensured through gaps between shifts, staggering the lunch breaks of staff, etc.
15. Provision for thermal scanning, hand wash and sanitizer will be made at all entry and exit points and common areas. Sufficient quantities of hand wash and sanitizer shall be made available in the work places.
16. Frequent sanitization of entire workplace, common facilities and all points which come into human contact eg. Door handles etc. shall be ensured, including between shifts.
17. Use of Arogya Setu shall be made mandatory for all employees and the Head of the organization shall be responsible for ensuring the same.
18. Large physical meetings to be avoided.
19. Intensive communication and training on good hygiene practices shall be taken up.

The District Magistrate shall enforce the Restrictions and Common Prescriptions, as stated above, **through fines and penal action** as prescribed in the **Disaster Management Act, 2005 / The Rajasthan Epidemic Diseases Ordinance, 2020**.

C. CLASSIFICATION OF DISTRICTS IN "ZONES":

1. Districts in the State are classified in three zones based on risk profiling, namely **RED ZONE, ORANGE ZONE** and **GREEN ZONE** based on MHA guidelines and criteria determined by Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW), GOI. This classification would be revised on a weekly basis.

2. The present classification of the Districts in the State in the 3 Zones is given in Annexure-1. Any revision in the list shall be duly communicated.

3. **CONTAINMENT ZONES**

   Strict protocol will be observed in the Containment Zones within the Red Zone and Orange Zone Districts as stated in the MHA guidelines of May 1st, 2020. There shall be strict perimeter control to ensure that there is no movement of population in or out of these zones except for medical emergencies and for maintaining supply of essential goods and services.

   No relaxations of any kind are applicable within the containment areas of hotspots and clusters / curfew areas.

D. PERMISSIONS / PASSES during the Modified Lockdown (May 4th – May 17th, 2020):

(i) All such offices, shops, establishments, factories, services and other activities etc. that are in the **"permitted" category can open / operate without the need for a separate permission** (unless specifically provided for), subject to the following **conditions**:

(1) Such units etc. shall ensure that they observe the basic precautionary measures specified in part B.

(2) The District Magistrate, through the Departments / Agencies concerned, shall ensure that these standards / precautions are observed are observed by all units in the permitted category.

(3) Any unit found not observing the conditions shall be shut down and penal action taken.

(4) Strict legal action will be taken against any shop, factory, establishment etc. that is not in the permitted category and found to be open, for violating the orders issued under lockdown.

(5) For any unit that is not clear as to whether it is in the "permitted" category or not, clarification be sought from the District Administration. In case of any factory, the clarification may be sought from Industries Deptt.

(ii) **No passes shall be required for movement of persons** or **vehicles** subject to the following **conditions**:

(1) The movement of individuals / vehicles is **only for** permitted activities under these guidelines / for emergency.
(2) The number of passengers / riders per vehicle is in accordance with that permitted for the zone concerned in these guidelines.
(3) The vehicle is permitted for the zone concerned.
(4) Strict legal action shall be taken against any person who violates the conditions of the modified lockdown, including impounding of the vehicle.

(iii) Movement of any **truck or other goods / carrier vehicle**, whether with goods or empty, shall not be stopped by police only on account of any lockdown restrictions, subject to condition specified in order dated April 15th, 2020.

E. PERMITTED ACTIVITIES during the Modified Lockdown (May 4th – May 17th, 2020):

I. **RED ZONE** (other than Containment Zone / curfew area)

PERMITTED Activities:

This is **in continuation** / clarification of the permitted activities as per the Order of even number of Home Deptt., GOR dated April 15th, and Addendums 1 and 2 dated April 19th and 25th, 2020:

1. Industrial Activities

i. URBAN Areas

In addition to the units specifically mentioned in the Order dated April 15th, 2020, the following units are also permitted:

a. All Units in Special Economic Zones (SEZs), Export Oriented Units (EOUs), Industrial Estates and Townships (RIICO / Private) with access control.

b. Production units, which require continuous process, and their supply chain

c. All units making Packaging material

ii. **RURAL Areas**

All industrial activities permitted.

The Guidelines dated April 19th, 2020 issued by Industries Deptt. shall stand superseded by this Order.

A joint team of RIICO / DIC and Labour Deptt. officers shall inspect the factory premises as and when considered necessary to ensure that the industry is in the permitted category and that the safety prescriptions are duly observed. Any violation shall be reported to the nearest Incident Commander (Executive Magistrate) for further necessary and legal action as provided for in these guidelines.

2. Construction Activities

i. **URBAN Areas**

As per Order dated April 15th, 2020.

ii. **RURAL Areas**

All construction activities permitted

For inter-district transportation of labour, special permit may be issued in the name of the contractor by the District Magistrate of the district in which the construction work is situated, and the same shall be effective for the entire route from origin of the labour collection point up to the construction site.

3. SHOPs

As per the Order dated April 15th, and Addendums 1 and 2 dated April 19th and 25th, 2020.

Barber shops, spas and salons shall **not** be permitted to open.

4. OFFICES ETC.

i. **Government offices (State / GOI)**

State Govt. - As per the Order dated April 15th, 2020

GOI – As per MHA guidelines dated May 1st, 2020

ii. Private

In addition to the private and commercial establishments permitted vide Orders dated April 15th and 19th, 2020, all other private offices can open with up to 33% strength as per requirement, with remaining persons working from home.

5. Movement of People / Transport

i. In addition to the restricted public transport listed in Part A (1) and (2) (i) to (v), the following transport shall **not** be permitted:
   a. Cycle rickshaws and auto rickshaws
   b. Taxis and cab aggregators (OLA, Uber etc.)
   c. Intra-district and inter-district plying of buses

ii. The movement of individuals / vehicles is only for permitted activities under these guidelines / for emergency. In such cases the following restrictions shall apply:
   (a) Four-wheeler – Driver plus maximum 2 passengers
   (b) Two-wheeler – only ONE (rider); **no pillion rider**

II. **ORANGE ZONE** (Outside Containment Zone / curfew area) :

All such activities as permitted for Red Zone shall also be permitted for Orange Zone.

Movement of People / Transport

i. In addition to the restricted public transport listed in Part A (1) and (2) (i) to (v), the following transport shall **not** be permitted:
   a. Inter-district and intra-district plying of buses.

ii. The movement of individuals / vehicles is only for permitted activities under these guidelines / for emergency. In such cases the following restrictions shall apply:
   (a) Four-wheeler – Driver plus maximum 2 passengers
   (b) Taxis and cab aggregators (OLA, Uber etc.) – same as above
   (c) Two-wheeler – only ONE (rider); **no pillion rider**
   (d) Auto rickshaw/ cycle rickshaw – Driver plus one passenger

III. **GREEN ZONE** :

ALL activities are permitted in Green Zones **except those** activities that are **prohibited in Part A** of this order.

ALL Common Prescriptions stated in **Part B** shall be **mandatory** for all persons and those in charge of work places.

Movement of People / Transport

(a) Buses - with up to 50% seating capacity
Bus depots can operate with up to 50% capacity
(b) Four-wheelers – Driver plus maximum 3 passengers
(c) Auto rickshaw/ cycle rickshaw – Driver plus two
(d) Two-wheeler – maximum two

F. RESIDUAL

ALL other activities / establishments etc. not mentioned above but specifically mentioned in the Implementation Order dated April 15th and Addendums dated April 19th and 25th 2020 shall also be "permitted activities" for the remaining period of the lockdown.

G. IMPLEMENTATION MACHINERY

The implementation machinery shall be the same as per the Order of even number dated March 26th, 2020.

H. SOPs by MHA

The following Standard Operating Protocols (SOPs) issued by MHA will continue to operate:

i. SOP on transit arrangement for foreign national(s) in India and release of quarantine persons, issued vide Order dated April 02, 2020.

ii. SOP on movement of stranded labour within States/ UTs, issued vide Order dated April 19, 2020.

iii. SOP on movement of stranded migrant workers, pilgrims, tourists, students and other persons, issued vide Order dated April 29, 2020.

iv. SOP on movement of stranded migrant workers, pilgrims, tourists, students and other persons by train, issued vide Order dated May 01, 2020.

(Rajeeva Swarup)
Additional Chief Secretary

Copy for information and necessary action to the following:-

1. Secretary to Governor
2. Principal Secretary to Chief Minister
3. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly
4. SA to Deputy Chief Minister
5. SAs/PSs to all Ministers & Ministers of State
6. All Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries
7. Director General of Police
8. Director General Jails/Home Guards
9. All Heads of Departments
10. All Divisional Commissioners
11. All Range IG/DIGs
12. Commissioner Police, Jaipur/Jodhpur
13. All Collectors and District Magistrates to send copy of this order to all DLOs and Officers of District administration
14. All Distt. Superintendents of Police/DCPs of Jaipur/Jodhpur
15. All Chief Executive Officers, Zila Parishads
16. All RTOs/DTOs
17. Deputy Secretary to CS
18. DIPR with a request to publicize it widely.

(P.C. Berwal)
Special Secretary to Govt.

Annexure-1

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
HOME DEPARTMENT

Zonal Classification of Districts as on May 2nd, 2020

RED ZONE

Sr. No.	District
1.	Jaipur
2.	Jodhpur
3.	Kota
4.	Ajmer
5.	Bharatpur
6.	Nagaur
7.	Banswara
8.	Jhalawar

ORANGE ZONE

1.	Tonk
2.	Jaisalmer
3.	Dausa
4.	Jhunjhunu
5.	Hanumangarh
6.	Bhilwara
7.	Sawai Madhopur
8.	Chittorgarh
9.	Dungarpur
10.	Udaipur
11.	Dholpur
12.	Sikar
13.	Alwar
14.	Bikaner
15.	Pali
16.	Barmer
17.	Karauli
18.	Rajsamand

GREEN ZONE

1.	Baran
2.	Bundi
3.	Ganganagar
4.	Jalore
5.	Sirohi
6.	Pratapgarh
7.	Churu

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक प.33 (2)गृह–9/2019 जयपुर दिनांकः 02.05.2020

आदेश

विषयः मोडिफाईड लॉकडाउन (मई 4–17, 2020) के क्रियान्वयन आदेश।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–डीएम–I(ए) दिनांक 01.05.2020 द्वारा सम्पूर्ण देश में लागू किया गया लॉकडाउन दिनांक 17.05.2020 तक आगे बढा दिया गया है। तद्नुसार भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40–3/2020–डीएम–I(ए) द्वारा जारी की गयी गाईड लाईन्स के अनुसरण में राजस्थान राज्य में दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 17.05.2020 तक लॉकडाउन की क्रियान्विति के लिए निम्नानुसार गाईड लाईन्स जारी की जाती हैः–

ए. प्रतिबन्ध (Restrictions) :

जोन वर्गीकरण, जैसे कि, रेड, औरेंज या ग्रीन का ध्यान रखे बिना सम्पूर्ण राज्य में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जारी रहेगें :–

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत :

(a) जब तक कि इन गाईड लाईन्स में विशिष्ट रूप से, और हद तक उपबंधित नहीं किया गया हो, जैसे कि बी 6 एवं 7, सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों के आवगमन या एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध।

(b) सांय 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

आपात स्थिति या आवश्यक मांग होने पर जिला प्रशासन या नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जायेगा। यह ड्यटी पर कार्यरत् सरकारी कर्मचारियों या चिकित्सकों/चिकित्सा और पैरा मेडीकल स्टाफ पर लागू नहीं होगा जिनके लिए अधिकारिक पहचान पत्र पर्याप्त होगा।

(c) सभी कार्यस्थल (दुकानें/कार्यालय/कारखाना आदि) जब तक कि इस संबंध में जिला प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गयी हो, सांय 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिये जायेगें ताकि इनका स्टाफ एंव अन्य व्यक्ति सांय 7 बजे तक अपने घर पहुच जायें।

(2) निषिद्ध गतिविधियॉ (**Prohibited Activities**):

सम्पूर्ण राज्य में निम्नलिखित गतिविधियॉ निषिद्ध रहेगी:

i. चिकित्सा सेवाओ/एयर एम्बुलेन्स/सुरक्षा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत उद्देश्यों को छोडकर सभी घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा।

ii. भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा दी गयी अनुमति के अतिरिक्त रेल के द्वारा सभी यात्री आवागमन।

iii. भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत उद्देश्यों के अतिरिक्त, सार्वजनिक परिवहन के लिए अर्न्तराज्यीय बसों का आवागमन।

iv. मैट्रो रेल सेवाऐं :

v. भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत गतिविधियों या चिकित्सीय कारणों को छोडकर व्यक्तियों का अर्न्तराज्यीय आवागमन।

vi. सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक/ कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेंगे। तथापि ऑनलाईन अध्यापन/कक्षाओं तथा डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी।

vii. स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फंसे हुए व्यक्तियों सहित पर्यटकों के आवास के लिये तथा क्वारेन्टीन सुविधा के लिये उपयोग में ली गयी आतिथ्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी आतिथ्य सेवाऐं।

viii. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाऐं, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम एवं एसेम्बिली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे।

ix. सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोंरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह।

x. सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जनता के लिये बन्द रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

xi. Containments Zone / कर्फ्यू क्षेत्र में निजी रोगी विभाग (ओपीडी) एवं चिकित्सा क्लिनिक्स अनुमति प्राप्त कर खोली जायेंगी, जो सामाजिक दूरी मापदण्ड तथा अन्य सुरक्षा सावधानियों की अनुपालना करने के आधार पर दी जायेगी। सभी सरकारी चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर भी यह सावधानियां बाध्यकारी होगी।

बी. सामान्य सावधानियां (Common Prescriptions) :

सभी जिलों एवं क्षेत्रों में निम्नांकित मानक सावधानियां एवं प्रतिबन्ध लागू रहेंगे :

सार्वजनिक स्थल (Public Spaces) :

1. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सःरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाऐं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे आवश्यक आवश्कताओं एवं स्वास्थ्य आवश्कताओं की पूर्ति

के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में, ऐसे व्यक्तियों से स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करेंगे।

2. सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क पहनना आवश्यक होगा।
3. कोई भी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को जिसने मास्क नहीं पहना हो, कोई सामान नहीं बेचेगा।
4. सार्वजनिक स्थान, कार्य स्थलों एवं परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी (कम से कम 6 फिट) की पालना सुनिश्चित करेंगे।
5. कोई संगठन/सार्वजनिक स्थल का प्रभारी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं होने देगा।
6. शादी से संबंधित समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा 50 से अधिक अतिथियों को अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. अन्तिम संस्कार / अन्तिम विधियों से संबंधित अवसर पर समाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा।
9. पान, गुटका, तम्बाकू आदि के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा।
10. शराब विक्रय करने की दुकानों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा एक समय पर एक दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नही होंगे।
11. सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन पूर्णतः वर्जित होगा।

कार्य स्थल (Work Spaces)

12. सभी कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा पर्याप्त मात्रा में फेस कवर की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
13. सभी कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्ति, कार्य स्थल में तथा कम्पनी परिवहन दोनों में सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करेंगे।
14. कार्य स्थलों पर पारियों के मध्य तथा कार्मिकों के लंच ब्रेक में अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।
15. सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधान किये जायेंगे। कार्य स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में हैण्डवाश और सेनेटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
16. सम्पूर्ण कार्य स्थलों में शिफ्टों के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार–बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. सभी कर्मचारियों के लिये आरोग्य सेतु का उपयोग अनिवार्य होगा तथा इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिये संगठन का अध्यक्ष उत्तरदायी होगा।
18. बडी भौतिक सभाओं से बचना चाहिए।
19. श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।

जिला मजिस्ट्रेट्स आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 / राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश, 2020 में निर्धारित जुर्माना और दण्डात्मक कार्यवाही के माध्यम से उपरोक्त वर्णित प्रतिबंधों एवं सामान्य सावधानियों को लागू करेंगे।

सी. जिलों का "जोन" में वर्गीकरण (Classification of Districts in "Zones")

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों और गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाईड लाईन्स के आधार पर राज्य में जिलों को जोखिम प्रोफाईलिंग के आधार पर तीन "जोनों" यथा–रेड जोन, ऑरेन्ज जोन एवं ग्रीन जोन में वर्गीकृत किया गया हैं। इस वर्गीकरण को साप्ताहिक आधार पर संशोधित किया जायेगा।
2. राज्य के जिलों का 3 जोनों में वर्तमान वर्गीकरण परिशिष्ठ 1 में दिया गया है।सूची में किसी भी संशोधन को विधिवत ढंग से सुचित किया जायेगा।

3. रोकथाम जोन (Containment Zones) :

रोकथाम जोन के अन्तर्गत रेड जोन एवं ऑरेन्ज जोन के जिलों में गृह मंत्रालय की गाईड लाईन में वर्णित प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जायेगा। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के अलावा इन जोन्स के अन्दर या उसके बाहर आबादी का आवागमन नहीं हो रहा है, सुनिश्चित करने हेतु सख्त परिधि नियंत्रण लागू होगा।

हॉट स्पॉट तथा क्लस्टर्स के कन्टेन्मेन्ट एरिया / कर्फ्यू क्षेत्रों में किसी प्रकार की छूट लागू नहीं हागी।

डी. संशोधित लॉकडाउन के दौरान अनुमति / पास (मई 4, 2020 से मई 17, 2020) :

(i) "अनुमत श्रेणी के सभी कार्यालय, दुकानें, प्रतिष्ठान, सेवाऐं एवं अन्य गतिविधियां आदि पृथक से अनुमति की आवश्यकता के बिना (जब तक कि विशिष्ठ तौर पर उल्लेख नही हों) निम्न शर्तों के अधीन खुली रहेंगी :

(1) ऐसी सभी इकाईयां आदि यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके द्वारा निर्दिष्ट मूलभूत ऐहतियाती उपायों की अनुपालना की जायेगी।
(2) जिला प्रशासन / विभाग या स्थानीय निकायों के कार्मिक यह सुनिश्चित करेंगे कि इन मापदण्डों / सावधानियों की पालना की जा रही है।
(3) यह पाये जाने पर कि कोई इकाई शर्तों कि पालना नहीं कर रही है को, बन्द कर दिया जायेगा और दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
(4) कोई भी दुकान फैक्ट्री प्रतिष्ठान जो कि अनुमत श्रेणी में नहीं हैं और लॉकडाउन के जारी किये गये आदेशों की उलंघना में खुली पायी जाती हैं, के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(5) ऐसी ईकाई जिसके बारे में "अनुमत" श्रेणी में उल्लेख है या नहीं स्पष्ट नहीं है के बारे में जिला प्रशासन से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जावेगा। कारखाने के प्रकरण में उद्योग विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जायेगा।

(ii) निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यक्तियों या वाहनों के आवागमन के लिये पास की आवश्यता नहीं होगी:

(1) व्यक्तियों या वाहनों का आवागमन मात्र इन गाईड लाईन्स / आपात स्थिति के लिये अनुमत गतिविधियों के लिये ही है।
(2) प्रति वाहन यात्री / सवारों की संख्या इन दिशानिर्देशों में संबंधित जोन के लिये अनुमत है।
(3) संबंधित क्षेत्र के लिये वाहन की अनुमति है।
(4) संशोधित लॉकडाउन की शर्तों की उलंघना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध वाहन को जब्त करने सहित, सख्त कार्यवाही की जायेगी।

(iii) दिनांक 15 अपेल, 2020 के आदेश में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी ट्रक या अन्य सामान और मालवाहक वाहन जो सामान के साथ या खाली हो, का आवागमन केवल मात्र लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण पुलिस द्वारा नहीं रोका जायेगा।

ई. संशोधित लॉकडाउन के दौरान अनुमत गतिविधियां
(Permitted Activities during Modified Lockdown)
(मई 4, 2020 से मई 17, 2020) :

I- रेड जोन (रोकथाम जोन /कर्फ्यू क्षेत्र के अलावा) :
अनुमत गतिविधियां : (Permitted Activities) :

यह गृह विभाग, राजस्थान सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 अप्रेल, 2020 तथा 19 अप्रेल, 2020 एवं 25 अप्रेल, 2020 के प्रथम एवं द्वितीय संशोधन द्वारा अनुमत गतिविधियों एवं इनके संबंध में जारी किये गये स्पष्टीकरण की निरंतरता में है :

1. औद्योगिक गतिविधियां (Industrial Activities) :

i- शहरी क्षेत्र :

15 अप्रेल 2020 के आदेश में विशिष्ट रूप से उल्लेखित ईकाईयों के अतिरिक्त निम्नलिखित ईकाईयों को भी अनुमति दी जाती है :

a- विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs), निर्यातोन्मुखी ईकाईयां (EOUS), औद्योगिक सम्पदा और टाउनशिप (रीको / निजी) पहुंच नियंत्रण के साथ।
b- उत्पादन ईकाईयां जिन्हें निरन्तर प्रक्रिया और उनकी आपूर्ति श्रंखला की आवश्यकता होती है
c. पैकेजिंग सामग्री बनाने वाली सभी ईकाईयां।

ii- ग्रामीण क्षेत्र

सभी औद्योगिकी गतिविधियों को अनुमति है।

इस आदेश से उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 19 अप्रेल, 2020 को जारी की गयी गाईड लाईन्स अधिक्रमित होंगी।

रीको / जिला उद्योग केन्द्र तथा श्रम विभाग के अधिकारी जब कभी भी आवश्यक समझा जावे तब कारखाना परिसरों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये करेंगे कि उद्योग अनुमत श्रेणी में है तथा सुरक्षा सावधानियों की विधिवत तरीके से अनुपालना की जा रही है। कोई भी उल्लंघन पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल निकटतम इन्सीडेन्ट कमाण्डर (कार्यपालक मजिस्ट्रेट) को इन गाईड लाईन्स में प्रावधित अग्रिम आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिये दी जायेगी।

2. निर्माण गतिविधियां (Construction Activities) :

i- शहरी क्षेत्र :

दिनांक 15 अप्रेल 2020 के आदेश के अनुसार।

ii- ग्रामीण क्षेत्र :

सभी निर्माण गतिविधियों की अनुमति है।

श्रमिकों के अन्तर जिला परिवहन के लिये जिस जिलें में निर्माण कार्य स्थित है, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ठेकेदार के नाम पर विशेष परमिट जारी किया जायेगा और यह श्रमिकों के एकत्रित करने के उद्‌गम स्थान से लेकर निर्माण स्थल तक ले जाने के सम्पूर्ण मार्ग के लिये अधिकृत होगा।

3. दुकानें (SHOPs):

दिनांक 15 अप्रेल, 2020 को जारी आदेश तथा दिनांक 19 व 25 अप्रेल,2020 को जारी किये गये संशोधन आदेशों के अनुसार।

नाई की दुकान, स्पा एवं सैलून को खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है।

4. कार्यालय इत्यादि (Office etc.)

i- सरकारी कार्यालय (राज्य / भारत सरकार)

राज्य सरकार – दिनांक 15 अप्रेल 2020 के आदेश के अनुसार

भारत सरकार – गृह मंत्रालय की दिनांक 1 मई 2020 को जारी की गयी गाईड लाईन्स के अनुसार।

ii- निजी (Private)

दिनांक 15 अप्रेल 2020 तथा 19 अप्रेल 2020 के आदेशों द्वारा अनुमत की गयी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त सभी निजी कार्यालय आवश्यकता अनुसार 33 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, शेष व्यक्ति वर्क फ्रोम हॉम की स्थिति में रहेंगे।

5. व्यक्तियों एवं परिवहन का आवागमन

i- पार्ट ए (1) और (2) (i to v) में सूचीबद्ध सीमित सार्वजनिक परिवहन के अतिरिक्त निम्नलिखित परिवहन की अनुमति नहीं होगी :

a साईकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा
b टैक्सी एवं कैब संचालक (ओला, उबर आदि)
c बसों का जिले के भीतर एवं अन्तर जिला अवागमन

ii जारी की गयी गाईड लाईन्स / आपात स्थिति में अनुमत गतिविधियों के लिये व्यक्तियों / वाहनों का आवागमन अनुमत है। ऐसे प्रकरणों में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होंगे :

a चार पहिया वाहन – वाहन चालक एवं अधिकतम दो सवारियां
b दो पहिया वाहन – मात्र एक (सवार), पीछे की सीट पर कोई सवारी नहीं

II ऑरेंज जोन (Orange Zone) (रोकथाम जोन एवं कर्फ्यू क्षेत्र के बाहर)

रेड जोन के लिये अनुमत सभी प्रकार की गतिविधियों ऑरेंज जोन के लिये भी अनुमत होंगी।

व्यक्तियों एवं परिवहन का आवागमन

i पार्ट ए (1) और (2) (i) से (v) में सूचीबद्ध सीमित सार्वजनिक परिवहन के अतिरिक्त निम्नलिखित परिवहन की अनुमति नहीं होगी :

a. बसों का जिले के भीतर एवं अन्तर जिला अवागमन

ii जारी की गयी गाईड लाईन्स / आपात स्थिति में अनुमत गतिविधियों के लिये व्यक्तियों / वाहनों का आवागमन अनुमत है। ऐसे प्रकरणों में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होंगे :

a. चार पहिया वाहन – वाहन चालक एवं अधिकतम दो सवारियां
b टैक्सी एवं कैब संचालक (ओला / उबर आदि) – उपरोक्तानुसार
c. ऑटो रिक्शा/साईकल रिक्शा – चालक एवं एक सवारी
d. दो पहिया वाहन – मात्र एक (सवार), पीछे की सीट पर कोई सवारी नहीं

III ग्रीन जोन (Green Zone)

इस आदेश के पार्ट ए में निषिद्ध गतिविधियों के अतिरिक्त सभी गतिविधियां ग्रीन जोन में अनुमत हैं।

इस आदेश के पार्ट बी में वर्णित सभी सामान्य सावधानियां, सभी व्यक्तियों और कार्य स्थल के प्रभारियों पर आज्ञापक रूप से लागू होंगी।

व्यक्तियों एवं परिवहन का आवागमन

a बसें – बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ
  बस डिपो – 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे।

b चार पहिया वाहन – वाहन चालक तथा अधिकतम 3 सवारियां

c ऑटो रिक्शा / साईकल – चालक एवं दो व्यक्ति

d दो पहिया – अधिकतम दो

F अवशिष्ट (Residual)

अन्य सभी गतिविधियां / प्रतिष्ठान आदि जो उपर वर्णित नहीं हैं परन्तु दिनांक 15 अप्रेल,2020 के क्रियान्वयन आदेश एवं दिनांक 19 व 25 अप्रेल, 2020 के संशोधन आदेशों में विशिष्ट रूप से वर्णित है, लॉकडाउन की शेष अवधि के लिये "अनुमत गतिविधियां" होंगी।

G कार्यन्वयन मशीनरी :

समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मार्च 202 0में वर्णित कार्यान्वयन मशीनरी के अनुरूप होगी।

H गृह मंत्रालय की मानक संचालन प्रकिया (SOPs by MHA)

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गयी निम्नांकित मानक संचालन प्रकिया निरन्तर संचालित रहेंगी :

i दिनांक 2 अप्रेल 2020 को जारी आदेश के अनुसार भारत में विदेशी नागरिकों के लिये पारगमन व्यवस्था और क्वारंटीन व्यक्तियों की रिहाई से संबंधित एसओपी।

ii दिनांक 19 अप्रेल 2020 द्वारा राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर फंसे हुए श्रमिको के आवागमन के लिये जारी की गयी एसओपी।

iii दिनांक 19 अप्रेल 2020 द्वारा फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों, विधार्थियों व अन्य व्यक्तियों के आवागमन के लिये जारी एसओपी।

iv 1 मई 2020 को द्वारा फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों, विधार्थियों व अन्य व्यक्तियों के रेल के द्वारा आवागमन के लिये जारी एसओपी।

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री महोदय
5. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड
9. सभी विभागाध्यक्ष
10. समस्त संभागीय आयुक्त।
11. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट, समस्त जिला स्तरीय, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध करायें।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त , जयपुर / जोधपुर
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
17. उप सचिव, मुख्य सचिव।
18. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

(पी.सी.बेरवाल)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह

परिशिष्ठ–1

राजस्थान सरकार
गृह विभाग

जिलो का जोनल वर्गीकरण 02 मई, 2020

रेड जोन

क्र.सं.	जिले का नाम
1	जयपुर
2	जोधपुर
3	कोटा
4	अजमेर
5	भरतपुर
6	नागौर
7	बासंबाडा
8	झालावाड

ओरेन्ज जोन

1	टोंक
2	जैसलमेर
3	दौसा
4	झुन्झुनू
5	हनुमानगढ
6	भीलवाडा
7	सवाईमाधोपुर
8	चित्तौडगढ
9	डूंगरपुर
10	उदयपुर
11	धौलपुर
12	सीकर
13	अलवर
14	बीकानेर
15	पाली
16	बाडमेर
17	करौली
18	राजसमंद

ग्रीन जोन

1	बांरा
2	बूंदी
3	गंगानगर
4	जालौर
5	सिरोही
6	प्रतापगढ
7	चूरू